लोक सभा निर्वाचन 2019

(मीडिया कोषांग)

दिनांक–29.04.2019

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा निर्वाचन 2019 के निमित्त प्रशिक्षण कोषांग द्वारा मतदानकर्मियों के तृतीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत लोयला इंटर कॉलेज व हाई स्कूल में 29 अप्रैल को पार्टी संख्या 60–0001 से लेकर 60–0163 को मतदान प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से विस्तार से अवगत कराया गया।

उन्हें डिस्पैच से लेकर कलस्टर व कलस्टर से लेकर बुथ तक की सभी आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही मतदान केंद्र पर ससमय मॉक पोल करने, वास्तविक मतदान कराने और समय पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त कराने तथा विभिन्न आवश्यक प्रपत्रों को भरने के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षण के समाप्ति के बाद पीओ, पी1, पी2 एवं पी3 सहित सभी मतदान कर्मियों के बीच परिचय पत्र का वितरण किया गया।

समान्य प्रेक्षक ने किया प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण

मौके पर समान्य प्रेक्षक ओम प्रकाश बकोरिया ने प्रशिक्षण शिविर का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान कर्मियों को व्यवहारिक व ज्ञानवर्धक जानकारियां दीं। साथ ही मतदान कार्य के सफल संचालन से संबंधित अपने अनुभवों का मतदानकर्मियों से साझा किया।

'ईवीएम/वीवी पैट का प्रदर्शन व संचालन'

प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम/वीवी पैट का प्रदर्शन किया गया। उपस्थित मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम/वीवी पैट की संपूर्ण जानकारी दी गयी। चुनाव में ईवीएम/वीवी पैट की उपयोगिता को दर्शाते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें ईवीएम/वीवी पैट के संचालन के विषय में बताते हुए , वीवी पैट की बैटरी , मॉक पोल के पश्चात वीवी पैट सील करना तथा मशीन के प्रयोग पर विशेष रूप से ध्यान देने इत्यादि मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस दौरान बूथों का संचालन व मतदान की प्रक्रिया पर विशेष रूप से अवगत कराया गया। चुनाव से पूर्व और चुनाव के दौरान के विशिष्ठ कार्यों को विस्तार से समझाया गया। उन्होंने मतदान के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया की जानकारी दी।

मौके पर प्रशिक्षण कोषांग के वरीय प्रभारी सह परियोजना निर्देशक, आईटीडीए, भीष्म कुमार ने बताया कि मतदानकर्मियों को बस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध कराये गए और उनकी योग्यता का परीक्षा ली गई। इसमें अधिकांश मतदानकर्मी सफल पाये गये। वरीय प्रभारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को बताया गया कि मतदान कार्य के दरम्यान क्या करें, क्या न करें की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें अलग से तत्संबंधित पंपलेट उपलब्ध कराये गये।

प्रशिक्षण कार्य का संचालन विनोद प्रजापति, अंचलाधिकारी सदर, खूंटी व कार्यपालक दंडाधिकारी श्रीमति कनक की देखरेख में किया जा रहा है।